भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA 383713

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम **"माँ शारदा देवी एजूकेशनल ट्रस्ट"** होगा। जिसे इस न्यास पत्र में आगे **"न्यास अथवा ट्रस्ट"** शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय 175–के, शिवपुर सहबाजगंज, पादरी बाजार रोड, जिला–गोरखपुर में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रुप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों कि सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर भी विधिपूर्ण कार्यों का संचालन किया जा सकेगा।

3. यह कि हम मुकिर कु0 अनुपमा गोस्वामी ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा श्री रविकान्त गोस्वामी मजकूर के संस्थापक व ट्रस्टी व ट्रस्ट के मुख्य प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। कु0 अनुपमा गोस्वामी तथा रविकान्त गोस्वामी को–ट्रस्टी के रुप में कार्य करेंगे हम मुकिर को–ट्रस्टीयों द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रुप में कार्य करने को सहमत हैं, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करते हैं। भविष्य में हम मुकिर को–ट्रस्टीयों द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर को–ट्रस्टीयों द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा को–ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर को–ट्रस्टीयों द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है :–

(1) श्री रविकान्त गोस्वामी पुत्र श्री आर.के. भारती, ग्राम–पकड़ी छापर, पोस्ट–पथरदेवा, जिला–देवरिया।

(2) कु0 अनुपमा गोस्वामी पुत्री श्री आर.के. भारती, 175–के, शिवपुर सहबाजगंज, पादरी बाजार रोड, जिला–गोरखपुर।

(3) श्री ब्यास गिरी पुत्र श्री विज्ञानानन्द गिरी, ग्राम–चनऊर, पो0–माटा पोखर, जिला–सिवान।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA 383714

(4) श्री पदमकेश्वर गिरी पुत्र श्री व्यास गिरी, ग्राम–चनऊर, पो0–माटा पोखर, जिला–सिवान।

(5) श्री चन्द्रप्रकाश गिरी पुत्र बिलास गिरी, ग्राम–चनऊर, पो0–माटा पोखर, जिला–सिवान।

(6) श्री संजय कुमार दूबे पुत्र श्री राजेश्वर दूबे, ग्राम–जयपालपार, पो0–करमदेवा, जिला–गोरखपुर।

(7) श्री सुरेश भारती पुत्र स्व0 श्री रामदास भारती, ग्राम–पकड़ी छापर, पो0–पथरदेवा, जिला–देवरिया।

यह कि हम मुकिर द्वारा **"माँ शारदा देवी एजूकेशनल ट्रस्ट"** के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :–

(1) समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।

(2) शिक्षा एवं जनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभासम्पन्न मेधावी छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।

(3) नव–युवक, नव–युवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

(4) वर्तमान समय में विज्ञान के जन–जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेकनालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

(5) लिंग भेद, जाति–पाँति, छुआ–छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA 385057

(6) शिक्षा, प्रचार–प्रसार, उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा तकनीकी गैर तकनीकी शिक्षा, विधि शिक्षा, शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु विद्यालय, महाविद्यालय स्थापित करना।

(7) समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

(8) शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे–मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश में तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

(9) ट्रस्ट के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में सीट पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।

(10) अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

(11) युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग, बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे–केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रू.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA 385058

(12) खाद्य प्रसंस्करण जैसे–जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, केचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

(13) युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे– हैण्डीक्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है।

(14) विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे– गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ–हानि के अन्य छात्रवासों का निर्माण व उसकी समुचित व्यवस्था करना आदि।

(15) वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन, पढ़ने–लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।

(16) महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।

(17) सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

(18) सरकार/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी–बूटी वाले पौधों का उत्पादन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA 385059

(19) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन तक पहुँचाना।

(20) राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

(21) विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे–यूनिसेफ, आई0सी0डी0एस0, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

(22) घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी, रोक–थाम, टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।

(23) नशा के सेवन से छुटकारा पाने के लिए नशा–मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

(24) समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे–अंधविश्वास, बाल-विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अस्पृश्यता, जाति–पाति एवं छुआ–छूत की भावना, स्वैच्छिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(25) युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना तथा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

(26) सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 385060

(27) विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना।

(28) एड्स, कैन्सर, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय/पैरामेडिकल महाविद्यलयों डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

(29) सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना।

(30) कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये–नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये–नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दया तथा सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना।

(31) प्राकृतिक आपदा जैसे–हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना।

(32) उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

(33) पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान व कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना करना।

(34) गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रू.20

भारत

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA 385061

(35) सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्व कार्य करना जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

(36) किसी अन्य सरकारी अथवा एन०जी०ओ० एसोसियेशन, ट्रस्ट के क्रिया कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस ट्रस्ट से मिलते हों।

(37) सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना।

(38) ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रियाकलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

(39) सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

(1) समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

(2) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाईयों को सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।

(3) ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।

(4) ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिए धन, सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।